



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग परिसर, रिंग रोड लाडपुर देहरादून, उत्तराखण्ड

वेबसाइट — www.sssc.uk.gov.in E-mail: chayanayog@gmail.com फोन नं 0135—2669658 फैक्स नं 0135—2672902

विज्ञापन संख्या — 05 / उ0अ0से0च0आ0 / 2016

विज्ञापन तिथि— 03 अगस्त, 2016

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भिक तिथि—

08 अगस्त, 2016

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि—

30 सितम्बर, 2016

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोजित विभिन्न विभागों में समूह “ग” के रिक्त 332 पदों हेतु निम्न विवरणानुसार सीधी भर्ती के ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—[पदों का स्वरूप व पेंशन योजना—अराजपत्रित पद (समूह—‘ग’), अंशदायी पेंशन योजना युक्त]। (आयु की गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2016 है।)

- विभिन्न विभागों, में सहायक लेखाकार के रिक्त 14 पदों एवं लेखा परीक्षक के रिक्त 03 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	शैक्षिक अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
29	29.1	परिवहन विभाग	<p>04 [(GEN-01, GEN(WO)-01, SC-01, OBC-01) (सहायक लेखाकार)]</p> <p>आयु सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।</p> <p>वेतनमान—₹ 5,200—20,200</p> <p>ग्रेड वेतन—₹ 2,800</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं— भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक, या पोस्ट ग्रेजुगेट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी तथा कम्प्यूटर में “ओ” लेवल का सर्टिफिकेट तथा कम्प्यूटर हिन्दी टंकण में 5000 Key Depression प्रति घण्टा की गति होना आवश्यक है।</p> <p>अधिमानी अर्हताएं— अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने—</p> <p>(i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या</p> <p>(ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।</p>
	29.2	परिवहन विभाग	<p>01 [(GEN-01)] (लेखा परीक्षक)</p> <p>आयु सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।</p> <p>वेतनमान—₹ 5,200—20,200</p> <p>ग्रेड वेतन—₹ 2,800</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं— भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक, या पोस्ट ग्रेजुगेट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी तथा कम्प्यूटर में “ओ” लेवल का सर्टिफिकेट तथा कम्प्यूटर हिन्दी टंकण में 5000 Key Depression प्रति घण्टा की गति होना आवश्यक है।</p> <p>अधिमानी अर्हताएं— अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने—</p> <p>(i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या</p> <p>(ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।</p>
	29.3	एन0सी0सी0 निदेशालय	<p>02 [(GEN-01, SC-01)] (लेखा परीक्षक)</p> <p>आयु सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं— बी0कॉम या पोस्ट ग्रेजुगेट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी तथा कम्प्यूटर में “ओ” लेवल का सर्टिफिकेट तथा कम्प्यूटर हिन्दी टंकण में 5000 Key Depression प्रति घण्टा की गति</p>

		वेतनमान—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 2,800	होना आवश्यक है।
29.4	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	10 [(GEN-05, GEN(WO)-02, SC-02, OBC-01] (सहायक लेखाकार) आयु सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 2,800	<p>शैक्षिक अर्हताएं— बी0कॉम या पोस्ट ग्रेजुगेट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी तथा कम्प्यूटर संचालन में “ओ” लेवल का सर्टिफिकेट जिसमें कम्प्यूटर हिन्दी टंकण में 5000 Key Depression प्रति घण्टा की गति होना आवश्यक है।</p> <p>अधिमानी अर्हताएं— अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

● विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक/डाटा इन्फ्री ऑपरेटर के रिक्त 28 पदों का विवरण निम्न प्रकार है—

पद कोड	उप—कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
30	30.1	परिवहन विभाग	01 [(OBC-01)] (कनिष्ठ सहायक) आयु सीमा—18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 2,800	<p>शैक्षिक अर्हताएं— इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। कम्प्यूटर टंकण (हिन्दी) के लिये 8000 Key Depressions न्यूनतम गति निर्धारित होगी।</p> <p>अधिमानी अर्हताएं— अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।
	30.2	वाणिज्य कर विभाग	21 [(GEN-08, GEN(WO)-04, GEN(EX)-01, GEN(UKA)-02, SC(WO)-01, SC(PH- PD or PB or OL)-01, ST-01, OBC-02, OBC(WO)-01)] (कनिष्ठ सहायक) आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 2,000	<p>शैक्षिक अर्हताएं— इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। कम्प्यूटर टंकण(हिन्दी) के लिये 4000 Key Depressions न्यूनतम गति निर्धारित होगी।</p>
	30.3	सहकारी समितियां उत्तराखण्ड	01 [(SC-01)] (कनिष्ठ सहायक) आयु सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 2,000	<p>शैक्षिक अर्हताएं— इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। कम्प्यूटर टंकण(हिन्दी) के लिये 4000 Key Depressions न्यूनतम गति निर्धारित होगी।</p> <p>अधिमानी अर्हताएं— अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

			(ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो। (iii) स्नातक / स्नाकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो।
30.4	प्राविधिक शिक्षा परिषद्	05 [(GEN-02, GEN(WO)-02, SC-01)] (लिपिक/ डाटा इन्ह्री आपरेटर) आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 2,000	शैक्षिक अर्हताएं— इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। कम्प्यूटर टंकण(हिन्दी) के लिये 4000 Key Depressions न्यूनतम गति निर्धारित होगी। अधिमानी अर्हताएं— अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने— (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

● विभिन्न विभागों में वैयक्तिक सहायक के रिक्त 36 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पद कोड	उप—कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
31	31.1	वाणिज्य कर विभाग	25 [(GEN-08, GEN(WO)-05, GEN(EX)-01, GEN(PH- BL or OL)-01, GEN(UKA)-02, SC-03, SC(WO)-01, SC(UKA)-01, OBC-03)] आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 2,800	शैक्षिक अर्हताएं— इण्टरमीडिएट या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष अन्य परीक्षा या इससे उच्च परीक्षा तथा कम्प्यूटर पर कर टंकण (4000 Key Depressions) का ज्ञान एवं हिन्दी आशुलेखन (80 WPM) का ज्ञान। अधिमानी अर्हताएं— (i) छंटनीशुदा कर्मचारियों को सेवा के 01 वर्ष पूर्ण करने के लिए 05 अंक।
	31.2	अभियोजन निदेशालय	11 [(GEN-04, GEN(WO)-02, GEN(UAK)-01, SC-02, OBC-02)] आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 2,800	शैक्षिक अर्हताएं— इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। हिन्दी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर हिन्दी टंकण में में न्यूनतम 4000 की—डिप्रेशन (Key Depressions) की गति निर्धारित की गयी है।

● सहकारी समितियां उत्तराखण्ड में अन्वेषक कम संगणक के रिक्त 06 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पद कोड	उप—कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
32	32.1	सहकारी समितियां उत्तराखण्ड	06 [(GEN-02, GEN(WO)-02, SC(WO)-01, OBC-01)] आयु सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 2,800	शैक्षिक अर्हताएं— भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0एस—सी (सांख्यिकी / गणित) तथा कम्प्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान। अधिमानी अर्हताएं— ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जो एम0काम0, अर्थशास्त्र में एम0ए0 हो, जिस एक प्रश्न पत्र सहकारिता का रहा हो, एम0एस—सी (कृषि), एम0एस—सी0 हो, जिसके पास बी0एन0 मेहता इन्स्टीट्यूट आफ को—

			ऑपरेटिव मैनेजमेन्ट, पूना से सहकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो।
--	--	--	---

- सहकारी समितियां उत्तराखण्ड में सहकारी निरीक्षक वर्ग-2/सहायक विकास अधिकारी (सह0) के रिक्त 13 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
33	33.1	सहकारी समितियां उत्तराखण्ड	13 [(GEN-07, GEN(WO)-02, SC(WO)-01, SC(EX)-01, OBC(WO)-01, OBC(EX)-01)] आयु सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—₹ 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—₹ 2,800	शैक्षिक अर्हताएं— भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कला (अर्थशास्त्र) में स्नातक या बी0एस0—सी (कृषि) में स्नातक तथा कम्प्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान। अधिमानी अर्हताएं— ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जो एम0काम0, अर्थशास्त्र में एम0ए0 हो, जिसमें एक प्रश्न पत्र सहकारिता का रहा हो, एम0एस0—सी (कृषि), एम0एस0—सी हो, जिसके पास बी0एन0 मेहता इन्स्टीट्यूट आफ को—ऑपरेटिव मैनेजमेन्ट, पूना से सहकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो।

- प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड में प्रयोगशाला सहायक (फार्मसी) के रिक्त 01 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
34	34.1	प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड	01 [(GEN-01)] आयु सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—₹ 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—₹ 2,800	शैक्षिक अर्हताएं— किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मसी में डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र के साथ विज्ञान में स्नातक की उपाधि। अधिमानी अर्हताएं— अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने— (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘बी’ प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

- उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड में इलैक्ट्रीशियन/मैकेनिक के रिक्त 02 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
35	35.1	उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड	02 [(GEN-01, SC-01)] आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—₹ 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—₹ 2,000	शैक्षिक अर्हताएं— 1. इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. इलैक्ट्रोशियन/इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड के साथ आई0टी0आई0।

● उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड में पुस्तकालय लिपिक के रिक्त 25 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
36	36.1	उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड	25 [(GEN-10, GEN(WO)-05, GEN(EX)-01, SC-03, SC(WO)-02, ST-01, OBC- 02, OBC(WO)-01)] आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 2,000	<u>शैक्षिक अर्हताएं—</u> 1. इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण—पत्र। 3. केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर का एक वर्षीय डिप्लोमा/समकक्ष योग्यता।

● उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड में तबला वादक के रिक्त 01 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
37	37.1	उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड	01 [(GEN-01)] आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 1,900	<u>शैक्षिक अर्हताएं—</u> — संगीत (तबला) विषय के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। <u>अधिमानी अर्हताएं—</u> — संगीत (तबला) विषय के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि।

● उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, में प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त 01 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
38	38.1	उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी	01 [(GEN-01)] आयु सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—रु 9,300—34,800 ग्रेड वेतन—रु 4,200	<u>शैक्षिक अर्हताएं—</u> 1. विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि। 2. कम्प्यूटर परिचालन में कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा, तथा कम्प्यूटर में कार्य करने का व्यावहारिक ज्ञान। अन्य बातें समान होने पर किसी विधि फर्म में कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। <u>अधिमानी अर्हताएं—</u> — अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने— (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

● उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, में शोध अधिकारी के रिक्त 01 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
39	39.1	उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी	01 [(GEN-01)] आयु सीमा—21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—रु 9,300—34,800 ग्रेड वेतन—रु 4,200	शैक्षिक अर्हताएं— 1. विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि। 2. कम्प्यूटर परिचालन में कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा। अन्य बातें समान होने पर एल—एल0 एम0 उपाधि धारक अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। अधिमानी अर्हताएं— —अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने— (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

● उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, में क्रीड़ा सहायक के रिक्त 01 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
40	40.1	उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी	01 [(GEN-01)] आयु सीमा—21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 2,800	शैक्षिक अर्हताएं— 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0पी0एड0 की उपाधि। 2. योग में एक वर्ष का डिप्लोमा। अधिमानी अर्हताएं— —अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने— (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

● उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, में केयर टेकर के रिक्त 01 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
41	41.1	उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी	01 [(GEN-01)] आयु सीमा—21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 2,400	शैक्षिक अर्हताएं— 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम तीन वर्ष का सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा। 2. कम्प्यूटर परिचालन में एक वर्ष का डिप्लोमा। अधिमानी अर्हताएं— —अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने— (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

			(ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।
--	--	--	---

● उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, में स्टोर कीपर के रिक्त 01 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पद कोड	उप—कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
42	42.1	उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी	01 [(GEN-01)] आयु सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 2,000	<p>शैक्षिक अर्हताएं—</p> <ol style="list-style-type: none"> माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा, या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। कम्प्यूटर परिचालन में कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा। <p>अधिमानी अर्हताएं——अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

● उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, में कैटलॉगर के रिक्त 01 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पद कोड	उप—कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
43	43.1	उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी	01 [(GEN-01)] आयु सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 1,900	<p>शैक्षिक अर्हताएं—</p> <ol style="list-style-type: none"> माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा, या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से प्रलेखन (डाक्यूमेन्टेशन) विषय के साथ डिप्लोमा अथवा पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की उपाधि। कम्प्यूटर परिचालन में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। <p>अधिमानी अर्हताएं——अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

● प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड, में कम्प्यूटर प्रोग्रामर के रिक्त 02 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
44	44.1	प्राविधिक शिक्षा परिषद्	<p>02 [(GEN-02)] आयु सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—रु 9,300—34,800 ग्रेड वेतन—रु 4,200</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं— भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक एवं पी0जी0डी0सी0ए0 या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष।</p> <p>अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी प्राविधिक शिक्षा परिषद् से इंजीनियरिंग की किसी शाखा में तीन वर्षीय डिप्लोमा तथा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी प्राविधिक शिक्षा से कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम।</p> <p>अथवा एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस।</p> <p>अधिमानी अर्हताएं— अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

● लोक निर्माण विभाग, में मानचित्रकार के रिक्त 18 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
45	45.1	लोक निर्माण विभाग	<p>18 [(GEN-07, GEN(WO)-04, GEN(EX)-01,SC(WO)-01, SC(EX)-01, SC(PH-OL)-01, ST-01, OBC-01, OBC(WO)-01)] आयु सीमा—18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—रु 9,300—34,800 ग्रेड वेतन—रु 4,200</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं— (क) उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित हाईस्कूल परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा और (ख) निम्नलिखित में से कोई परीक्षा या पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने का प्रमाण—पत्र।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पैलिटेक्निक संस्थान से मानचित्रकार का डिप्लोमा अथवा उत्तराखण्ड अथवा अन्य राज्य में स्थित एवं मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से उसके समकक्ष डिप्लोमा, अथवा 2. प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मानचित्रकार का डिप्लोमा अथवा उत्तराखण्ड या अन्य राज्य में स्थित एवं मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से उसके समकक्ष डिप्लोमा या 3. विधि द्वारा स्थापित भारत में स्थित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त मानचित्रकार का डिप्लोमा या समकक्षीय उपाधि। <p>अधिमानी अर्हताएं— अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

● लोक निर्माण विभाग, में अमीन के रिक्त 25 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
46	46.1	लोक निर्माण विभाग	<p>25 [(SC-04, SC(WO)-07, SC(EX)-01, SC(PH-PD)-01, ST-02, ST(WO)-01, OBC-03, OBC(WO)-05, OBC(EX)-01)]</p> <p>आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।</p> <p>वेतनमान—रु 5,200—20,200</p> <p>ग्रेड वेतन—रु 2,000</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं— (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की इण्टरसीडिट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2) किसी शासकीय प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त अथवा शासन द्वारा संचालित क्षमता उन्नयन कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वे/अमीन सम्बन्धी कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त अथवा आई0टी0आई0 से सर्वेयर/मानचित्रकार ट्रेड में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।</p> <p>अधिमानी अर्हताएं—— अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। (iii) स्नातक / स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो।

● उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, में उद्यान पर्यवेक्षक के रिक्त 95 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
47	47.1	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	<p>95 [(GEN-39, GEN(WO)-18, GEN(EX)-02, GEN(DFF)-01, SC-13, SC(WO)-06, ST-02, ST(WO)-01, OBC-09, OBC(WO)-04)]</p> <p>आयु सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।</p> <p>वेतनमान—रु 5,200—20,200</p> <p>ग्रेड वेतन—रु 2,400</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं— बी0एस—सी (जीव विज्ञान) / बी0एस—सी (कृषि) / बी0एस—सी (उद्यान)</p> <p>अधिमानी अर्हताएं— (एक) एम0एस—सी0(विज्ञान) या एम0एम—सी0(सब्जी विज्ञान) या सम्बद्ध विषय में विशेष पत्र के साथ एम0एस0सी0। (दो) अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

● उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, में पर्यवेक्षक(कैनिंग) के रिक्त 11 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
48	48.1	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	11 [(GEN-04, GEN(WO)-02, GEN(UKA)-01, SC-02, SCWO)-01, OBC-01)] आयु सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 2,000	शैक्षिक अर्हताएं— विज्ञान या कृषि में इण्टरमीडिएट के साथ खाद्य प्रसंस्करण में एक वर्षीय डिप्लोमा। अधिमानी अर्हताएं— अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने— (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

● उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, में पर्यवेक्षक(बेकरी / कनफैक्शनरी) के रिक्त 02 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
49	49.1	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	02 [(GEN-01, SC-01)] आयु सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 2,000	शैक्षिक अर्हताएं— बेकरी और कनफैक्शनरी में पदों के लिए अपने—अपने व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा के साथ इण्टरमीडिएट। अधिमानी अर्हताएं— अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने— (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

● उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, में पर्यवेक्षक(पाककला / कुकरी) के रिक्त 02 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
50	50.1	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	02 [(GEN-01, SC-01)] आयु सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 2,000	शैक्षिक अर्हताएं— पाककला के पदों के लिए अपने—अपने व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा के साथ इण्टरमीडिएट। अधिमानी अर्हताएं— अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने— (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

• विभिन्न विभागों, में वाहन चालक के रिक्त 42 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
51	51.1	उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी	<p>02 [(GEN-01, GEN(UKA)-01)]</p> <p>आयु सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।</p> <p>वेतनमान—रु 5,200—20,200</p> <p>ग्रेड वेतन—रु 2,000</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं—</p> <ol style="list-style-type: none"> किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। यथास्थिति भारी हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाईसेंस नियम 16 के अधीन रिक्ति के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो। <p>अधिमानी अर्हताएं—— अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। (ii) वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो। (iii) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो।
	51.2	डेरी विकास विभाग	<p>06 [(GEN-04, SC-02)]</p> <p>आयु सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।</p> <p>वेतनमान—रु 5,200—20,200</p> <p>ग्रेड वेतन—रु 2,000</p>	
	51.3	कार्यालय जिलाधिकारी अल्मोड़ा	<p>11 [(GEN-04, GEN(WO)-02, GEN(UKA)-01, SC-01, SC(WO)-01, OBC-01, OBC(WO)-01)]</p> <p>आयु सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।</p> <p>वेतनमान—रु 5,200—20,200</p> <p>ग्रेड वेतन—रु 2,000</p>	
	51.4	कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी	<p>10 [(GEN-04, SC-03, ST-01, OBC-02)]</p> <p>आयु सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।</p> <p>वेतनमान—रु 5,200—20,200</p> <p>ग्रेड वेतन—रु 1,900</p>	

51.5	कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार	05 [(GEN-03, SC-01, OBC-01)] आयु सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 1,900
51.6	कार्यालय जिलाधिकारी चमोली	05 [(SC-01, OBC-03, OBC(WO)-01)] आयु सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 1,900
51.7	कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल	03 [(GEN-01, SC-02)] आयु सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतनमान—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 1,900

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट तथा निःशक्त व्यक्तियों को समूह “ग” के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छुट अनुमन्य है।

4— सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण:— समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त पदों के प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण एवं वैधता होना अनिवार्य होगा। (**शासनादेश संख्या – 72/XXX (2)/2014 दिनांक 10 फरवरी, 2014**)

शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010-3(1)/2010 दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार “जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण—पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।”

5— राष्ट्रीयता सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि:—

(क) भारत का नागरिक हो, या (ख) तिब्बती शरणार्थी, हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया, यूगांडा यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो,

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महनिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:— ऐसे अभ्यर्थी को जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और से इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

6— चरित्र:— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी:— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

7— वैवाहिक प्रास्थिति:— सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो:

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

8—आरक्षण:—(1) **ऊर्ध्व आरक्षण**— उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) **क्षैतिज आरक्षण**— उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा पूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा। उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को आरक्षण का लाभ तभी अमुन्य होगा जब सम्बन्धित पद शासन द्वारा विकलांगता की श्रेणियों में से किसी के लिए चिन्हित होगा।

(i) “**पूर्व सैनिक**” से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो—(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयम् की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं— (एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

नोट:— पूर्व सैनिकों के आश्रितों को किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(ii) “**शारीरिक रूप से विकलांग**” से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित हो—(एक) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि (दो) श्रवणह्रास (तीन) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगधात।

टिप्पणी:- विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है।

(iii) "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित" से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र और अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है।

नोट:- (1) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04% तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य होगा।

(2) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ियों लिए 04%, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित के लिए 10% तथा उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिये 3% क्षेत्रिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

(3) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(4) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के परिशिष्ट-01 में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे परिषद्/नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करें।

9— शुल्क :- ऑनलाईन आवेदन पत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी सर्वप्रथम आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन (**Net Banking/Debit or Credit Card**) बैंक ऑफ बड़ौदा (**Bank of Baroda**) के माध्यम से जमा कर सकता है। ऑनलाईन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क स्वीकार नहीं होगा। यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पायेगा एवं जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। जमा शुल्क की प्राप्ति रसीद ऑनलाईन की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थी को बैंक के माध्यम से निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क प्रतिपद
01	अनारक्षित (सामान्य)	रु0 300/- मात्र
02	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0)	रु0 300/- मात्र
03	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0सी0)	रु0 150/- मात्र
04	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (एस0टी0)	रु0 150/- मात्र
05	उत्तराखण्ड विकलांग(दिव्यांग)/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक	रु0 150/- मात्र

10— लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

क्र०सं०	पद का नाम	पाठ्यक्रम
1.	सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक	लिखित परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। प्रथम प्रश्न—पत्र 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) का होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न—पत्र होगा तथा द्वितीय प्रश्न—पत्र बी०कॉम व कम्प्यूटर के 'ओ'— लेबल सर्टिफिकेट स्तर का कम्प्यूटर विषयक 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा।
2.	कनिष्ठ सहायक व डाटा इन्ट्री आपरेटर	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न—पत्र होगा। कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 Key Depressions प्रति घन्टा की गति। उक्त परीक्षा 50 अंकों की होगी। जिन अभ्यर्थियों ने विहित न्यूनतम गति प्राप्त की होगी, उनको ही अंक दिये जायेंगे।
3.	वैयक्तिक सहायक	लिखित परीक्षा 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न—पत्र होगा एवं हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 5000/4000 Key Depressions प्रति घण्टे की गति। उक्त परीक्षा 50 अंकों की होगी। जिन अभ्यर्थियों ने विहित न्यूनतम गति प्राप्त की होगी, उनको ही अंक दिये जायेंगे।
4.	अन्वेषक कम संगणक	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन व पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप एक प्रश्न—पत्र होगा।
5.	सहकारी निरीक्षक वर्ग –2 /सहायक विकास अधिकारी (सह०)	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन व पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप एक प्रश्न—पत्र होगा।
6.	प्रयोगशाला सहायक फार्मसी	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन व पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप एक प्रश्न—पत्र होगा।
7.	इलैक्ट्रीशियन / मैकेनिक	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन व पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप एक प्रश्न—पत्र होगा।
8.	पुस्तकालय लिपिक	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन व पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप एक प्रश्न—पत्र होगा।
9.	तबला वादक	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन व पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप एक प्रश्न—पत्र होगा।
10.	प्रशिक्षण अधिकारी	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन व पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप एक प्रश्न—पत्र होगा।
11.	शोध अधिकारी	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन व पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप एक प्रश्न—पत्र होगा।
12.	क्रीड़ा सहायक	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन व पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप एक प्रश्न—पत्र होगा।
13.	केयर टेकर	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन व पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप एक प्रश्न—पत्र होगा।
14.	स्टोर कीपर	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन व पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप एक प्रश्न—पत्र होगा।

15.	कैटलॉगर	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन व पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप एक प्रश्न—पत्र होगा।
16.	कम्प्यूटर प्रोग्रमर	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन व पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप एक प्रश्न—पत्र होगा।
17.	मानचित्रकार	मानचित्रकार के पद पर भर्ती के लिए निम्नलिखित विषयों में वस्तुनिष्ठ (Objective Type) प्रतियोगिता परीक्षा होगी। 1. भवन डिजाइन(व्यवहारिक)/ व्यवसायिक सिद्धान्त (आंकलन/ सर्वेक्षण और अनुरेखण इत्यादि – 100 अंक 2. सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की परीक्षा होगी। – 100 अंक
18.	अमीन	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन व पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप एक प्रश्न—पत्र होगा।
19.	उद्यान पर्यवेक्षक	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन व पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप एक प्रश्न—पत्र होगा।
20.	पर्यवेक्षक (कैनिंग)	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन व पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप एक प्रश्न—पत्र होगा।
21.	पर्यवेक्षक(बेकरी / कनफैक्शनरी)	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन व पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप एक प्रश्न—पत्र होगा।
22.	पर्यवेक्षक(पाककला / कुकरी)	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन व पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप एक प्रश्न—पत्र होगा।
23.	वाहन चालक	चयन के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के आधार पर सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान तथा वाहन चालन के प्राविधिक ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न पत्र होगा। जिसमें उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को लिखित परीक्षा की प्रवीणता सूची से, एक पद के सापेक्ष 6 गुना अभ्यार्थियों को वाहन चालन परीक्षा (ड्राइविंग टेस्ट) हेतु आमांत्रित किया जायेगा।

समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया के नियम 5 के उपनियम (4) के खण्ड (एक) तथा नियम 5 के उपनियम (4) के खण्ड (दो) के उपखण्ड (ख) के अनुसार लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रवीणता सूची में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यार्थियों की दशा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यार्थियों की दशा में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त किये अभ्यार्थियों को ही सम्मिलित किया जायेगा (शासनादेश संख्या 1420 / XXX(2) / 2011 दिनांक 13 दिसम्बर, 2011)। (उक्त की दशा में अगर किसी पद के लिए दो लिखित परीक्षाएं होती हैं तो दो लिखित परीक्षाओं में अलग—अलग प्राप्तांकों की प्रवीणता सूची में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यार्थियों की दशा में न्यूनतम पैंतालीस—पैंतालीस प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यार्थियों की दशा में न्यूनतम पैंतीस—पैंतीय प्रतिशत अंक प्राप्त किये अभ्यार्थियों को ही सम्मिलित किया जायेगा)।

- (i) लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु $1/4$ ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।
- (ii) अभ्यार्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ लें जाने की अनुमति दी जायेगी।
- (iii) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
- (iv) गलत उत्तरों के लिए दण्ड— वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यार्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा:-

- (क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।
- (ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।
- (ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

11— लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में पहले उनकी शैक्षिक योग्यता एवं तत्पश्चात् उनकी आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा।

12— अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in में दिये गये निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें और तत्पश्चात् ही आवेदन करें यदि किसी स्तर पर यह पाया गया कि अभ्यर्थी ने सही सूचना नहीं दी है या निर्देशों का पालन नहीं किया है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

- 13— ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि— 28 सितम्बर, 2016
- 14— ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि— 30 सितम्बर, 2016
- 15— रिक्तियों की संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है।

अंतिमहत्वपूर्ण सूचना—

1. यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे विभागों के पृथक—पृथक पदों (पदकोड) हेतु पृथक—पृथक शुल्क जमा कर पृथक—पृथक आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा।
2. यदि कोई अभ्यर्थी पृथक—पृथक विभागों के एक ही प्रकृति/पदकोड के पदों हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे अपने आवेदन पत्र में विभागों को क्रमानुसार वरीयता क्रम में स्वयं भरना/इंगित करना अनिवार्य होगा।
3. उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों को सरकारी नौकारी में 10% आरक्षण का लाभ दिये जाने का प्रकरण वर्तमान समय में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में किया जायेगा। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही आन्दोलनकारियों को वॉचिट आरक्षण का लाभ दिये जानें पर विचार किया जायेगा।
4. **परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।**
5. दृष्टिहीनता या कम दृष्टि विकलांग व्यक्तियों/अभ्यर्थियों के लिए बीस मिनट का अतिरिक्त समय और प्रश्न—पत्र से रेखागणित और गणित के अपवर्जन का उपलंध किया जाएगा और रेखागणित तथा गणित के स्थान पर कुछ अनुकल्प प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा।

(डा० एम०एस० कन्याल)
सचिव।



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग परिसर, रिंग रोड लाडपुर देहरादून उत्तराखण्ड।

वेबसाइट—www.sssc.uk.gov.in E-mail: chayanayog@gmail.com फोन नं 0135—2669658

पत्रांक— 512 /परीक्षा-विज्ञाप्ति/2016 दिनांक 03 अगस्त, 2016

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न विभागों में समूह 'ग' के रिक्त 332 पदों हेतु निम्न विवरणानुसार सीधी भर्ती के ऑनलाइन आवदेन पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है—

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या
1.	सहायक लेखाकार/लेखा परीक्षक	17
2.	कनिष्ठ सहायक/डाटा इन्ट्री आपरेटर	28
3.	वैयक्तिक सहायक	36
4.	अन्वेषक कम संगणक	06
5.	सहकारी निरीक्षक वर्ग—2/सहायक विकास अधिकारी (सह0)	13
6.	प्रयोगशाला सहायक फार्मेसी	01
7.	इलैक्ट्रोशियन/मैकेनिक	02
8.	पुस्तकालय लिपिक	25
9.	तबला वादक	01
10.	प्रशिक्षण अधिकारी	01
11.	शोध अधिकारी	01
12.	क्रीड़ा सहायक	01
13.	केयर टेकर	01
14.	स्टोर कीपर	01
15.	कैटलॉगर	01
16.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	02
17.	मानचित्रकार	18
18.	अमीन	25
19.	उद्यान पर्यवेक्षक	95
20.	पर्यवेक्षक (कैनिंग)	11
21.	पर्यवेक्षक (बेकरी/कनफैक्शनरी)	02
22.	पर्यवेक्षक (पाककला/कुकरी)	02
23.	वाहन चालक	42
योग		332

इस सम्बन्ध में विस्तृत विज्ञापन संख्या 05/उ0अ0स0च0आ0/2016 दिनांक 03 अगस्त, 2016 को आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर अपलोड/प्रसारित कर दिया गया है।

ऑनलाइन आवदेन पत्र (Online Application) से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत हैं—

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	03 अगस्त, 2016 (Wednesday)
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भिक तिथि—	08 अगस्त, 2016 (Monday)
ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि—	28 सितम्बर, 2016 (Wednesday)
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि—	30 सितम्बर 2016 (Friday)

(डा० एम०एस० कन्याल)
सचिव

अभ्यर्थी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

1— आरक्षण सम्बन्धित:— उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के “परिशिष्ट-1” में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो आवेदन—पत्र से सम्बन्धित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/श्रेणियों/उप श्रेणियों (एक या एक से अधिक जो भी हो) को अवश्य अंकित करें, अन्यथा वे अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थी समझे जायेंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

- (i) **ऊर्ध्व आरक्षण:**— उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार ऊर्ध्व आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।
- (ii) **क्षैतिज आरक्षण:**— भूतपूर्व सैनिकों का 05 प्रतिशत्, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 02 प्रतिशत्, क्षैतिज आरक्षण का लाभ उत्तराखण्ड सरकार के प्राविधानों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य होगा। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण का लाभ उत्तराखण्ड सरकार के प्राविधानों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य होगा।
- (iii) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 02 प्रतिशत का लाभ उत्तराखण्ड सरकार के प्राविधानों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य होगा।
- (iv) उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से **विकलांग/निशक्त** अभ्यर्थियों के लिए (केवल चिन्हित पदों उपरोक्त पैरा 8(2)(क)(ii) के अनुसार) उच्चतम् आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (शासनादेश संख्या 1673 / XXX(2)/2010 दिनांक 10 नवम्बर 2010)।
- (v) **भूतपूर्व सैनिक:**— आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता—आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुए हैं, किन्तु जिनकी सेना में पुर्नवास के लिए वृद्धि की गयी है, भी इस परीक्षा के लिए निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं—
(क) ऐसे आवेदकों को थल सेना, नौ सेना, वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि, पुर्नवास के लिए की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है।
(ख) ऐसे आवेदकों को यथा—समय यह लिखित अण्डरटेंकिंग प्रस्तुत करना होगा कि आवेदित पद के लिए चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। यदि उसे सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया है अथवा वह त्यागपत्र दे कर सेना से अवमुक्त हुआ है अथवा वह सेना से कदाचार के कारण अवमुक्त हुआ है।
(ग) उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपने सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु उस पद/सेवा के निमित्त, जिसके लिये वह नियुक्त का इच्छुक हो, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

- (vi) **उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी:-** उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष रिट पिटीशन (पीआईएल) संख्या-67/2011 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी के अन्तर्गत नियुक्ति न दिए जाने के अंतरिम आदेश 26.08.2013 दिए गये हैं, किन्तु चयन प्रक्रिया में उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भाग लेने पर रोक नहीं लगाई गई है। अतः राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी के अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा रही है कि उनका उक्त पद हेतु चयन सक्षम न्यायालय के निर्णय के प्रतिबन्धाधीन अथवा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा।
- (vii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, राज्य आंदोलनकारी / उनके आश्रित, निःशक्त (विकलांग) तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन कर सकेंगे।
- (viii) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।
- (ix) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी / उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के “परिशिष्ट-1” में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें यथासमय परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख “परिशिष्ट-1” में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण – पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहाँ शपथ – पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहाँ वांछित शपथ – पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर परम्परागत आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।
- (x) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त / विनियोजित सैन्य कर्मियों को शासनादेशानुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

2- राष्ट्रीयता :- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

- (क) भारत का नागरिक हो; या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या
- (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिस ने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण – पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण – पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण – पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जायेगा कि उस ने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

3—चरित्र:— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी को इस विषय में समाधान करेगा।

टिप्पणी:— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

4—अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्ट रूप से भरे होने चाहिए (जो लागू हों) तथा किसी भी स्तम्भ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। अस्पष्ट, संदिग्ध तथा भ्रामक होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

5—केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/ प्रतिष्ठान में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र उचित माध्यम (Through Proper /channel/NOC) से भेजने होंगे, जिसमें यह उल्लेख हो कि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक /विजिलेन्स मामला नहीं चल रहा है।

6—ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application) भरने हेतु दिशा निर्देश:—

ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी सर्वप्रथम आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। भुगतान करते समय अभ्यर्थी अपना समस्त विवरण सही—सही भरे, अन्यथा शुल्क भुगतान के पश्चात् न तो किसी प्रकार का संशोधन होगा और न ही जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस किया जायेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदन पत्र व बैंक शुल्क हेतु केवल एक ही मोबाईल नम्बर का प्रयोग करें।

- (I) **ऑनलाइन आवेदन हेतु आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in में **ऑनलाइन आवेदन** के सम्मुख “Click” पर जाएं एवं Continue करें।**
- (II) **आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्र को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही—सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क ऑनलाइन **BANK OF BARODA** के माध्यम से जमा कर सकते हैं उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।**
- (III) **ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में Reset पर Click करे एवं पुनः समस्त प्रविष्टियां भरें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में Continue पर Click करें।**
- (IV) **वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरांत अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ JPG Format (50 KB से अनधिक) एवं हस्ताक्षर **JPG Format** (20 KB से अनधिक) में अपलोड करने होंगे।**
- (V) **आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी Edit पर Click करे तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में I Agree पर Click करें।**
- (VI) **सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को “**Online Application**” प्रक्रिया में “**Submit**” बटन को “**Click**” करने पर ही “**Online Application**” प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।**
- (VII) **अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग में जमा हो गया है, का संदेश प्राप्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे सन्दर्भ हेतु प्रयोग किया जा सके।**

- (VIII) अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में मात्र उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
- (IX) आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) एवं भर्ती प्रक्रिया आयोग के नियमानुसार सम्पादित की जायेगी।
- (X) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। जालसाजी (फर्जी) प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से 05 वर्षों तक के लिए प्रतिवारित किया जाएगा।
- (XI) आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑन-लाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें।
- (XII) अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंटआउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण-पत्र को आयोग में जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- (XIII) आयोग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त पदनाम, अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (XIV) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि, वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए, अन्तिम तिथि से पूर्व ही आवेदन पत्र भर लें।
- (XVI) लिखित परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं आवेदन शुल्क Online NetBanking (**BANK OF BARODA**) के माध्यम से ही परीक्षा शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी भी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (XVII) अभ्यर्थी एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन कदापि न करें, अन्यथा अभ्यर्थी के इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।
- (XVIII) लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
- (IXX)** यदि अभ्यर्थी की अंक-तालिका में प्राप्तांकों की गणना ग्रेड (CGPA, OGPA, SGPA etc.) में हो तो अंक-तालिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार समकक्ष अंकों व प्रतिशत को दर्शाना अनिवार्य है।

7— अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in में दिये गये निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें और तत्पश्चात् ही आवेदन करें यदि किसी स्तर पर यह पाया गया कि अभ्यर्थी ने सही सूचना नहीं दी है या निर्देशों का पालन नहीं किया है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

8— किसी भी परिस्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

9— रिक्त पदों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

10— लिखित परीक्षा:— (01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय—समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।
(02) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा परीक्षा के बाद डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(03) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के माध्यम से सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का आयोग द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(04) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(05) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण—पत्र' मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(06) लिखित परीक्षा के पश्चात् परीक्षा की उत्तरमाला को 15 दिन के भीतर आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर प्रकाशित किया जायेगा।

(07) लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार प्रवीणता सूची तैयार की जायेगी।

(08) लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी।

11:—अन्य आवश्यक निर्देशः—

(1) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है।
(2) लिखित परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें; क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुनिश्चित नहीं किया जाएगा।

(3) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित — कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(4) **परीक्षा भवन में आचरण** – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए भारतीय दण्ड प्रक्रिया के अनुसार कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर-पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(5) **अँगूठे का निशान** (Thumb Impression) – सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने बायें अँगूठे का निशान अवश्य अंकित करेंगे।

(6) **लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति तथा उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को नियमावली द्वारा प्रत्येक चरण में विहित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को ही प्रवीणता सूची (Merit List) हेतु विचार किया जाएगा।**

(7) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे **पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने** के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में सम्मिलित हों।

(8) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में छपे पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। **अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।**

(9) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। **उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र/साक्षात्कार ज्ञाप जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।**

(10) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(11) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(12) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग-2014 (**Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission-2014**) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(13) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(14) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(15) **आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा**

आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(16) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in का समय—समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(17) प्रश्नगत चयन हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं बैंक Online Netbanking के माध्यम से परीक्षा शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(19) चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन सम्बन्धित विभाग द्वारा कराया जायेगा।

(20) सम्बन्धित पदों हेतु परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा।

नोट : अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्टि/मूल प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों का अवलोकन उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग(**UKSSSC**) की वेबसाइट पर किया जा सकता है तथा उसी आधार पर आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

सचिव
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून।

परिशिष्ट

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण प्रपत्र
(जैसा कि ००प्र० पुनर्गठन अधिनियम, २००० के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी
..... सुपुत्र/ पल्नी/ सुपुत्री श्री निवासी ग्राम .
..... तहसील नगर जिला

उत्तराखण्ड की जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश १९५० (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ०प्र०) आदेश १९६७, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी तथा अथवा
उनका परिवार

उत्तराखण्ड के ग्राम तहसील नगर जिला
..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : पूरा नाम
मुहर : पदनाम

जिलाधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ सिटी
मजिस्ट्रेट/ उप जिला मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार
/ जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
..... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
..... तहसील नगर जिला
..... उत्तराखण्ड के राज्य की पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति
उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए
आरक्षण अधिनियम, 1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत
मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना
संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित से
आच्छादित नहीं है।
श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड
के ग्राम तहसील नगर जिला
.....में सामान्यतया रहता है।
स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : पूरा नाम
..... पदनाम
..... मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र

शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी
सुपुत्र/ पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्राम
..... तहसील नगर जिला
..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/ श्रीमती/ कुमारी(आश्रित)
..... पुत्र/ पुत्री/ पौत्र/ अविवाहित पौत्री उपर्युक्त अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती/ (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।
स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : पूरा नाम
पदनाम
..... मुहर
(सील) जिलाधिकारी

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के लिए प्रमाण—पत्र

(केवल शा०सं०—1270 / तीस—२ / 2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 व शा०सं०—776 / XX(4)26 / उ०आ० / 2006—०८ दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 तथा शा०सं०—६३७ / XX(4)26 / उ०आ० / 2006 / ०९ दिनांक 13 अगस्त, 2010 के अधीन अर्ह सेवायोजन हेतु चिह्नित आन्दोलनकारियों के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी
 सुपुत्र/ पत्नी/ सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
 तहसील नगर जिला
 शा०सं०—1270 / तीस—२ / 2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 व शा०सं०—७७६ / XX(4)26 / उ०आ० / 2006—०८ दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 तथा शा०सं०—६३७ / XX(4)26 / उ०आ० / 2006 / ०९ दिनांक 13 अगस्त, 2010 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के रूप में चिह्नित हैं।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट

PHYSICAL CLASSIFICATION

Code	Function
BL	दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं
BA	दोनों हाथ प्रभावित(1—Inpaired)(2 Weakness of grip)
BLA	दोनों पैर तथा दोनों हाथ प्रभावित
OL	एक पैर प्रभावित (Right OR Left)
OA	एक हाथ प्रभावित(Right OR Left)
BH	बैठ नहीं सकते

FT	कम सहनशक्ति—कम थकावट
MW	(मांसपेशी की कमजोरी)
IC	चलने फिरने में कम समन्वय
B	BLIND
PB	PARTIALLY BLIND
D and PD	Deaf OR Partially Deaf